डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

बदनसिंह बनाम राज0 सरकार बगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनि.

मुकदमा नंबर 82/2017

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि आराजी खाता संख्या 395 रकबा 0.48 है0 ताके हरनेरा तहसील नदबई पर वादीगण का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज कि जाता है।

बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद ––––––––––––––फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक –––––––––––– की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख **09.12.2024** को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर) 9/12/24

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:05:35 IST
Reason: SelfAttested

1. बदनसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति जाट निवासी हरनेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. रनधीरसिंह पुत्र उदयराम जाति जाट निवासी हरनेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. बलवीरसिंह पुत्र उदयराम जाति जाट निवासी हरनेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार तहसीलदार नदबई

प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:05:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 82/2017
जीसीएमएस न. 2017/00161
किस्म दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 09.12.2024

1. बदनसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति जाट निवासी हरनेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. रनधीरसिंह पुत्र उदयराम जाति जाट निवासी हरनेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. बलवीरसिंह पुत्र उदयराम जाति जाट निवासी हरनेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार तहसीलदार नदबई

प्रतिवादी

उपस्थित श्री पूरनसिंह (वादीगण)

:: **निर्णय** :: दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण सभी पक्षकारान वादपत्र लडने योग्य हैं।
2. यह कि खसरा नंबर 395 रकवा 0.48 हैक्ट. साबिक ख.न. 370 रकवा 0.48 से बना है व हाल नकल जमाबंन्दी संवत 2050 से 53 एवं हाल व साबिक मिलान क्षेत्रफल पेश है वाके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई में स्थित है।
3. यह कि विवादित आराजी खसरा नंबर 395 रकबा 0.48 है0 जो कि हाल जमाबंदी में सिवायचक दर्ज है। उक्त आराजी वादीगण की पूर्वजों की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है जो कि साबिक खसरा नंबर 370 रकबा 0.48 है. से बना है। नकल जमाबंदी संवत 2050–53 के अनुसार वादीगण उक्त आराजी में खातेदार काश्तकार दर्ज थे लेकिन भूप्रबंध विभाग द्वारा किए गए सैटलमेंट संवत 2055 में उक्त आराजी के सहवन से सिवायचक दर्ज हो गया है। जो कि गलत है। आराजी पर वादीगण के पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है। आराजी खसरा नंबर 395 जो कि संवत 2055 से पूर्व खसरा नंबर 370 से बना है, के मुताबिक वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वर्तमान इन्द्राजात को निरस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:05:35 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण सं. 1 की ओर से जबाव दावा पेश किया

9/12/24

गया। जबाव दावा में अंकित किया कि विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक है अतः दावा काबिल खारिजी के है।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाव दावा के अभिकथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई जो इस प्रकार है—

1. आया वादी विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र वादीगणों के पूर्वजों की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है— जिम्मेवादी
2. आया विवादित आराजी खसरा नंबर 395 खातेदारी की आराजी है जिसे भूप्रबंध विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज कर दिया गया है जिसे वादीगण खातेदार कब्जेकाश्त करा पाने का अधिकारी है। — जिम्मेवादी
3. आया विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है तथा साक्ष्य व रिकॉर्ड के अभाव में दावा काबिल खारिजी के है— जिम्मे प्रतिवादी अप्रार्थीगण

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम हरनेरा, नकल जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2010—13, नकल भूप्रबंध विभाग संवत 2028 वाके ग्राम हरनेरा, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2027—28 वाके ग्राम हरनेरा, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2029, 2030 व 31— 32 वाके ग्राम हरनेरा, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2034—37, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2050—53, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2046—49, 2054—57 व 2058—61 पेश किए गए तथा नकल जमाबंदी संवत 2071—74, नकल पर्चा लगान भूप्रबंध विभाग संवत 2040—47, नकल भूप्रबंध विभाग खसरा पत्रक संवत 2055, नकल पटवारी रिपोर्ट 19.05.2016, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र उदयराम पेश किए गए। तथा मौखिक बयान के रूप में बदनसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति जाट हरनेरा , रनधीर पुत्र उदयराम जाति जाट निवासी हरनेरा, जोगेन्द्र सिंह पुत्र जगन जाति जाट निवासी हरनेरा, नकुल पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी हरनेरा पेश किए गए।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव दावा के समर्थन में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार इस प्रकार है—

1. आया वादी विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र वादीगणों के पूर्वजों की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है— उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2010 पेश की गई जिसमें रघु व प्यारे का हिस्सेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जो कि वादीगण के पिता प्यारे के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत भूप्रबंध विभाग 2028 में विवादित आराजी प्यारे पुत्र रामहंस जाति फौजदार साकिन देह दर्ज रिकॉर्ड है। तथा नकल जमाबंदी संवत 2050—53 में प्यारे पुत्र रामहंस जाति फौजदार साकिन देह दर्ज रिकॉर्ड है। तथा पर्चा लगान में भी प्यारे पुत्र रामहंस दर्ज रिकॉर्ड है। तथा वादीगण द्वारा खसरा गिरदावरी पेश की गई हैं जिनमें प्यारेलाल काश्त का अंकन है। परन्तु वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2021.06.23 15:05:35 IST
Reason: SelfAttested

संवत 2010 के बाद की जमाबंदी पेश नहीं की गई हैं जिससे यह साबित होता हो कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के बाबा रामहंस व पिता प्यारेलाल की राजस्व रिकॉर्ड दर्ज चली आ रही है। वादी द्वारा केवल काश्त की खसरा गिरदावरी पेश की गई हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

2. आया विवादित आराजी खसरा नंबर 395 खातेदारी की आराजी है जिसे भूप्रबंध विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज कर दिया गया है जिसे वादीगण खातेदार कब्जेकाश्त करा पाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल भूप्रबंध विभाग खसरा नंबर 395 पर जो सिवायचक दर्ज की गई है वह सही की गई है। वादी केवल कब्जेकाश्त के आधार पर खातेदारी चाहता है। कब्जे के आधार पर खातेदारी दिया जाना संभव नहीं है चूंकि वर्तमान में विवादित आराजी सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। अतः उक्त तनकी भी वादीगण के खिलाफ तय की जाती है।
3. आया विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है तथा साक्ष्य व रिकॉर्ड के अभाव में दावा काबिल खारिजी के है– विवादित आराजी खसरा नंबर 395 वर्तमान में सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है एवं वादी द्वारा संवत 2010 के बाद की जमाबंदी पेश नहीं की गई जिससे साबित होता हो कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण की खातेदारी की आराजी रही हो। अतः वादीगण का वादपत्र खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि आराजी खाता संख्या 395 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई पर वादीगण का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:05:35 IST
Reason: SelfAttested

9/12/24

(गंगाधर मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

उपखण्ड अधिकारी (परवन)